निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 60/2023
दायरा दिनांकः—06.09.2023
निर्णय दिनांकः— 24.3.25

उनवान

1. हंसराज आयु 47 साल पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. देवीशंकर आयु 45 साल पुत्र बाबुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मदनलाल आयु 65 साल पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्से तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24-3-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भानु कुमार गुप्ता — प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के कब्जे मे एवं अप्राथी क्रमांक 1 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं० 86 में अंकित ख0नं0 132 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, वाके माल खांखरा तहसील छबडा जिला बांरा में स्थित है जिसकी जमाबंदी की नकल प्रा० पत्र के साथ संलग्न है एवं इकरारनामा दिनांक 7—7—2011 भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रा० पत्र का एक भाग है । इकरारनामा दिनांक 7—7—2011 प्रार्थीगण के पक्ष में उनके पिता बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी खांखरा द्वारा निष्पादित इस आशय का करवाया था कि बाबूलाल जी के आधिपत्य की भूमि ख0नं0 132 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा चाके माल खांखरा को मुबलिक बिल एवज 60,000/— रूपया मे प्रार्थीगण के पक्ष मे विकय करता हूं। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजी पर 12 वर्षों से निरन्तर अबाद्य रूप से बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी पर कय करने के पश्चात से प्रार्थीगण ही काश्त करते आ रहे है अप्रार्थी कमांक 1 से प्रार्थीगण से कहते है कि तुम इस जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम करवा दो क्यो कि उक्त भूमि हमारे स्वर्गीय पिता बाबूलाल जी के द्वारा हमे विकय कर दिया था क्यो कि उक्त वर्णित आराजी पारिवारीक बंटवारे में उनके नाम आई थी। प्रार्थीगण के पिता के हिस्से मे आई उक्त वर्णित आराजी ख०नं० 132 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके माल खांखरा तहसील छबडा पर अप्रार्थी कमांक 1 व उसके प्रतिनिधीगण कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थी नं० 1 के मन मे बदिनयती आ जाने से प्रार्थीगण के हक हकूको पर विपरीत कुठाराघात कर अप्राथी नं० 1 प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल की मृत्यु 17–07–2022 को होने के बाद से उक्त वर्णित आराजी मे नाजायज कब्जा जमाने पर आमदा है जब कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को कय कीया जा चुका है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण दिनांक 25–06–2023 को अपने द्वारा कय की गयी भूमि अप्रार्थी नं० 1 से हिस्सा मांगने व रजिस्ट्री करवाने के कहने के लिए गये तो प्रतिवादी कमांक 1 ने वादीगण से कहा कि तूम तो तुम्हारे बाप बाबूलाल को मरने के बाद से ही तुम्हारा कोई हिस्सा हक उक्त आराजी मे नही है स्टाम्प तो कागज का टुकडा है कोई काम का नही है। एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थी कमांक 1 ने बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से नही की जा सकेगी एवं प्रार्थी गण को अनेकानेक वाद विवादो मे उलझना पडेगा । प्रार्थीगण अपने पिता की विक्रय की गयी उक्त वर्णित आराजी मे खातेदारी घोषित करवाकर अपने नाम पृथक से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने का पूर्ण वैद्यानिक अधिकारीणी हैएवं राजस्व रेकार्ड मे खातेदार कृषक घोषित होने का पूर्ण वैद्यानिक अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खांखरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 86 नकल इकरारनामा दिनांक 07.07.2011 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खांखरा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 07.07.2011 से 60,000/– में प्रार्थीगण के पक्ष खसरा नम्बर 132 रकबा 1.02 बीघा का बेचान किया गया था। तभी से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता के हिस्से में आई भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल की मृत्यु हो गई है। अप्रार्थी क्रम 1 उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने से मना किया तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई। यदि अप्रार्थी व उसके प्रतिनिधियों द्वारा जबरन बल पूर्वक प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी का अप्रार्थी क्रम 1 खातेदार कृषक है अप्रार्थी क्रम 1 ने कोई इकरार प्रार्थीगण व उसके पिता बाबूलाल से नही किया था। इकरारनामा बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड द्वारा लिखा गया है जबकि उक्त विवादित आराजी से बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण को कोई संबंध नही है भूमि का खातेदार बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ है बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वाद पत्र में पक्षकार भी नही बनाया है इकरारनामा बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा लिखा गया है जबकि बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ खातेदार है उन्होने कोई इकरारनामा नही लिखा है बाबूलाल के पिता के नाम में अन्तर है इकरारनामा ओर जमाबन्दी में अंकित पिता का नाम मेल नही खाता है दोनो अलग–अलग है प्रार्थी द्वारा फर्जी इकरारनामा तैयार कर पेश किया है प्रार्थीगण द्वारा बाबू पुत्र जगन्नाथ को पक्षकार भी नही बनाया है मदनलाल पुत्र राधाकिशन को पक्षकार बनाया है मदनलाल पुत्र राधाकिशन से प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष चाहा है बाबू पुत्र जगन्नाथ से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है प्रार्थीगण द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार भी नही बनाया है बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण खातेदार नही है बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण खातेदार नही होते हुए भी यदि उसके द्वारा इकारार किया है तो अप्रार्थी क्रम 1 किसी प्रकार से प्रति बन्धित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्याहीन होने से खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खांखरा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 132 रकबा 1.9096 है0 भूमि के कुल 11 सहखातेदार है जिसमें बाबू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/16 मदन पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है नकल इकरारनामा दिनांक 07.07.2011 के अनुसार बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड द्वारा खसरा नम्बर 132 रकबा 1.02 बीघा भूमि 60,000/– में प्रार्थीगण हंसराज, देवीशंकर पुत्र बाबूलाल को बेचान किया जाना पाया जाता है प्रस्तुत इकरारनामा बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा लिखा गया है बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड सह खातेदार नही है बिना खातेदार भूमि का बेचान कैसे कर सकता है प्रार्थीगण द्वारा बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण को पक्षकार नही बनाया है प्रार्थीगण द्वारा मदन पुत्र राधाकिशन को पक्षकार बनाया है उससे ही अनुतोष चाहा गया है इकरारनामा के आधार पर पक्षकार नही बनाया है खातेदार बाबू के पिता का नाम जगन्नाथ है जबकि इकरारनामें में बाबूलाल के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण है प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार इकरारनामा/अनुतोष का सही तालमेल नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा